भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3258
20 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

ओडिशा में मेगा फूड पार्क

3258. श्री प्रदीप पुरोहित:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ओडिशा के लिए संस्वीकृत मेगा फूड पार्कों की संख्या कितनी है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) ओडिशा में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए शीतागार सुविधाएं और संभारतंत्र केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत ओडिशा में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार का ओडिशा के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक खाद्य प्रसंस्करण समूहों की स्थापना करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ओडिशा के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फूड स्टार्टअप और एमएसएमई को किस प्रकार सहायता प्रदान कर रही है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खेत से बाजार तक मूल्य श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की एक घटक योजना मेगा फूड पार्क योजना (एमएफ़पीएस) को लागू कर रहा है। पिछले पाँच वर्षों में ओडिशा के लिए कोई मेगा फूड पार्क स्वीकृत नहीं किया गया है। 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान प्रतिबद्ध देनदारियों के प्रावधान के साथ सरकार ने 01.04.2021 से इस योजना को बंद कर दिया है। ओडिशा राज्य में दो मेगा फूड पार्क पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। ओडिशा राज्य में स्वीकृत मेगा फूड पार्कों का विवरण, उनकी स्थिति के साथ **अनुबंध-I** में दिया गया है ।

(ख) से (ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बुनियादी ढांचे के निर्माण, बिक्री आधारित प्रोत्साहनों के अनुदान, क्षमता विस्तार और अन्य सहायक उपायों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने

के लिए योजनाओं को लागू कर रहा है। ये योजनाएं हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) ,जो खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, की विभिन्न घटक योजनाओं को लागू कर रहा है । प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजनाएं जैसे कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, एकीकृत शीत श्रंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना(आईसीसी), खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन / विस्तार (सीईएफपीपीसी) और ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी) के तहत देश में खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे / इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) स्वयं पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत कोई परियोजना स्थापित नहीं करता है। बल्कि एमओएफ़पीआई इन योजनाओं के माध्यम से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो प्रकृति में मांग आधारित होती हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्यवार, क्षेत्रवार या जिलेवार धन का आवंटन नहीं किया जाता है। इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। प्राप्त प्रस्तावों का पात्रता और मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और पात्र पाए गए प्रस्तावों में से योग्यता के आधार पर अनुमोदन दिया जाता है। पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत , पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, राज्यों के आईटीडीपी अधिसूचित क्षेत्रों और द्वीप समूहों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए रियायतें और पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता की बढ़ी हुई दर प्रदान की जाती है। जबकि सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है । पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अनुमोदित और जारी अनुदान सहायता का विवरण, जिसमें ओडिशा राज्य में निर्मित कोल्ड स्टोरेज/फ्रोजन स्टोरेज/सीए/एमए की संख्या शामिल है, **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 20 मार्च 2025 को उत्तर हेतु 'ओडिशा में मेगा फूड पार्कों' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3258 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं.	एसपीवी/आईए नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिले का नाम	अंतिम अनुमोदन की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	अनुदान स्वीकृत किया गया (रुपये करोड़ में)	अनुदान जारी किया गया (करोड़ रुपये में)	स्थिति
01	एमआईटीएस मेगा फूड पार्क लिमिटेड	ओडिशा	रायगढ़	16-अप्रैल-2012	87.88	45.94	44.95	प्रचालनरत
02	ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (आईडीसीओ)	ओडिशा	खोरधा	6-नवंबर-2015	121.95	50	37.8	कार्यान्वयन के अंतर्गत

अनुबंध-II

20 मार्च, 2025 को उत्तर हेतु 'ओडिशा में मेगा फूड पार्कों' के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3258 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

28.02.2025 तक

स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या	पूर्ण/परिचालनरत	परियोजना लागत (करोड़ में)	स्वीकृत सहायता अनुदान (जीआईए) (करोड़ में)	जारी जी.आई.ए. (करोड़ में)	निर्मित प्रसंस्करण क्षमता (एलएमटी/वर्ष)	निर्मित परिरक्षण क्षमता (एलएमटी/वर्ष)	रोज़गार	किसान लाभान्वित	कोल्ड स्टोरेज/फ्रोजन स्टोरेज/सीए/एमए की संख्या
28	12	748.72	206.85	146.43	6.71	2.32	18855	85841	15